(43)

A. S. Kumar
अभिभाषक
शाजापुर

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण कमांक /निगरानी/2012/ R-3094-I/12

कलेक्टोरेट शाजापुर
22 AUG 2012
अधीक्षक / डिप्टी कलेक्टर

मुश्ताकखा पिता खेराती खा आयु **45**साल
जाति मुसलमान निवासी ग्राम पिपल्यानगर
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र.0
—— निगरानीकर्ता

विरूध्द

आशाबाई पति मनोहरसिंह आयु **40** साल
जाति भानुमति निवासी ग्राम पिपल्यानगर
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर
—— विपक्षी

प्रथम निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र.0 भू0 रा0 संहिता 1959 विरूध्द न्यायालय तहसीलदार तहसील कालापीपल के प्रकरण कमांक 20/अ–12/ 2011–12 आशाबाई पिपल्यानगर विरूध्द म0प्र0 शासन में पारित अंतिम आदेश दिनांक 23–6–2012 से असंतुष्ठ एवं दुखित होकर।

माननीय महोदय,

2571

निगरानीकर्ता का निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है —

1— यह कि निगरानीकर्ता के पडोसी कृषक/विपक्षी व्दारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि खाता कमांक 304 वर्ष 2011–12 भूमि सर्वे कमांक 122/1/2 रकबा 0.234 हे0 एवं कमांक 122/2 रकबा 1.908 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.142 हे0 लगानी 17=40 रूपये स्थित ग्राम पिपल्यानगर का सीमांकन करवाये जाने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म0प्र0 भू रा0संहिता 1959 का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कालापीपल के समक्ष दिनांक 1–6–2012 को खसरा पांचसाला एवं नक्षा भूमि सर्वे कमांक 122 ग्राम पिपल्यानगर सहित प्रस्तुत किया। विपक्षी व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर दिनाक 1–6–2012 को अधिनस्त न्यायालय व्दारा अपने न्यायालय में प्रकरण कमांक 20–अ–12 वर्ष 2011–12 पर सीमांकन शीर्ष में प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 कालापीपल को न्यायालय तहसीलदार तहसील कालापीपल के रीडर–1 कमांक 215 दिनांक 1–6–2012 से सीमांकन आदेश जारी कर विपक्षी की कृषि भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 कालापीपल व्दारा न तो कोई सूचना पत्र निगरानीकर्ता को जारी किया गया ओर न ही राजस्व निरीक्षक वृत्त–1

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर (४३)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3094-एक/12 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	